प्रेषक

निदेशक,
खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

प्रेषित

राज्य के समस्त जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी।

क्रमांक-खेल-युवा-2020/ 26248-69 दिनांक-07/09/2020

विषय- राज्य में युवा क्लबों की स्थापना बारे।

उपरोक्त् विषय पर विभागीय पत्र क्रमांक-खेल-युवा-2020/26126-47 दिनांक-31/08/2020 के लगातार संदर्भ में।

आदरणीय प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खेल एंव युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के प्रत्येक गांव में 10-15 युवा सदस्य वाले एक-एक युवा क्लब की स्थापना की जाए।

युवा क्लब युवाओं की ऊर्जा को साकारात्मक दिशा देते हुए सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा दहेज प्रथा, एच.आई.वी. एड्स, ड्रग्स व अन्य सामाजिक बुराईयों बारे जागरूकता अभियान चलाकर समाज को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान युवाओं द्वारा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर असहाय लोगों के लिए खाना तैयार करवाने व बंटवाने, सामाजिक दूरी का पालन करवाने, सैनीटाईजर व फेस मास्क बंटवाने, पीने के पानी की व्यवस्था करने तथा ब्लड डोनेशन कैम्प आदि आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका चुके हैं।

अत: आप अपने अधीन युवा सांस्कृतिक संयोजक/ कनिष्ठ सांस्कृतिक संयोजकों को निर्देश दें कि वे आपके जिला के गांवों का दौरा कर युवा क्लब स्थापित करने बारे विवरण तैयार करें, युवा क्लबों को आपके जिला के नक्शे पर अंकित करें तथा उनका पूरा ब्यौरा एकत्रित करें ताकि निकट भविष्य में यह सूचना विभाग द्वारा तैयार की जा रही application में upload की जा सके।

उच्चाधिकारीगण द्वारा शीघ्र ही अगले दो सप्ताह के भीतर इस बारे एक बैठक का आयोजन कर इन रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाएगा।

उपनिदेशक खेल,
कृते- निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ.क्रमांक-खेल-युवा-2020/ दिनांक- /09/2020

उपरोक्त की निजि सचिव/ प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है।

उपनिदेशक खेल,
कृते- निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।